improvement of environment and development of forests and wildlife in the State alongwith the achievement both physical and financial during the last two years are given in the Statement at the Annexure (See Appendir 172, Annexure No. 2)

(c) to (e) All the existing schemes of Wildlife conservation as indicated at S. No. 1-3 & 7 in the Statement at the Annexure will be continued.

Settlement of Erteroached forest Land

24. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether any proposal from Maha rashtra Government for settlemsnt of encroached forest land by tribals has re cently been received by the Central Gov ernment; aind

(b) if so, when the proposal was re ceived and the action taken by Govern ment thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) and (b) A proposal for diversion of 28,886.41 ha. of forest land for regu-larisation of encroachments on forest land was received from the State Government of Maharashtra in June, 1990. After examination of the proposal, certain essential details have been sought from the State Government, which are yet to be received.

वन्य जीवों की खालों और उनके अंगों का अवैध व्यापार

25. श्री सत्य प्रकाश मालवीय:
श्री अनन्तराम जायसवाल:
श्री दिग्विजय सिंह:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन्य जीवों की खालों और अंगों का बड़े पैमाने पर अवैध व्यापार चल रहा है और इसमें सेना के विभिन्न अंगों के अधिकारी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से शामिल है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अवैध व्यापार में लिप्त लोगों और संबंधित सेना-अधिकारियों का पता लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) वन्य जीवों की रक्षा करने तथा उनकी खालों और अंगों का अवैध व्यापार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) जी, नहीं । तथापि, रिपोर्ट मिली है कि उत्तर प्रदेश में तैनात कुछ सैनिक अधिकारी वन्यजीव उत्पादों के अवैध व्यापार में संलग्न हैं । इस मामले की जांच पड़ताल राज्य सरकार के माध्यम से की जा रही है और जरूरी होने पर इसे सैनिक प्राधिकारियों के साथ भी उठाया जाएगा ।

(घ) सरकार द्वारा वन्य जीव-जन्तुओं की सुरक्षा तथा वन्यजीवों और वन्य जीव उत्पादों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं :—

(1) अनुसूचित वन्य जीव-जन्तुओं के शिकार करने पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

(2) शिकार-रोधी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(3) बाघों, हाथियों और गैंडों तथा उनके वास स्थलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए विशिष्ट स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं ।

(4) जब कभी वन्य जीवन प्राधिकारियों को वन्य जीव-जन्तुओं के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है, तो वे छापे मारते हैं ।